# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 56/2011

सायलान :-
1. जेठाराम पुत्र रावतराम
2. कैलाशचन्द्र पुत्र रावतराम
3. संतोषदेवी पुत्री रावतराम
4. रामकंवरी पुत्री रावतराम
जातियान-मेघवाल, निवासी-धनेरिया
तह.-जैतारण, जिला-पाली

बनाम

गै0सा0 :-
1. गोविन्दराम पुत्र रावतराम
2. पप्पूदेवी बेवा रावतराम
जातियान-मेघवाल
निवासी-धनेरिया
तहसील-जैतारण जिला-पाली

**राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी**

**तारीख रजू:. 13/05/2011**

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, सायलान।
2. श्री भगवतीप प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, गै0सा0।

**-:: निर्णय ::-** **दिनॉकः- 13/07/2015**

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-धनेरिया तहसील-जैतारण में सायलान व गै0सा0 संख्या एक व दो की शामलाती खातेदारी व कब्जाकाश्त की जमीन खसरा नंबर 11, 12, 13, 14, 459 कुल 5 कुल रकबा 52-07 बीघा किस्म चा0दो, गै.मु. व बा0दो0 की आई हुई हैं। उक्त वर्णित खसरा नम्बरान की आराजी की नकल चालू जमाबंदी व नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रतियाँ प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही हैं। प्रार्थना पत्र में आगे इस उपर वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि को विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। इन उपर वर्णित खसरा नम्बरान की विवादित आराजी में सायलान का 2/3वां हिस्सा हैं तथा गैरसायलान संख्या एक व दो का 1/3वां हिस्सा हैं। सायलान व गैरसायलान माफिक अपने हक हिस्से अनुसार इस आराजी पर काबिज होकर के काश्त कर रहे हैं। उक्त आराजी सायलान व गैरसायलान की संयुक्त व शामलाती हैं। जिसका अभी तक बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाडा नहीं हुआ हैं। सायलान अपने हक हिस्से की भूमि पर काली मिटटी व देशी खाद डालकर भूमि को उपजाऊ बनाकर उस पर आधूनिक तरिके से काश्त करना चाहता हैं व सायलान को अपने हक हिस्से की भूमि पर बैंक से अलग से अपना साख पत्र बनावाये जाने की भी आवश्यकता हैं। इसके लिये आराजी का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाना आवश्यक हैं, इस बाबत सायलान ने गैरसायलान पप्पूदेवी से आराजी का बंटवाडा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के करवाने के लिये निवेदन किया, परन्तु गैरसायलान की नियत खराब है एवं वे विवादित आराजी का बंटवाडा नहीं करना चाह रही हैं। पप्पूदेवी सायलान की सौतेली माता हैं। नाप चौप को लेकर के आये दिन वाद विवाद करते रहते हैं। दिनांक 20.04.2011 को गैरसायला पप्पूदेवी ने आराजी का बंटवाडा करने से स्पष्ट रुप से इन्कार कर दिया, जिस पर प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाडा खातेदारी कृषि भूमि का विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं। सायलान विवादित आराजी में से माफिक अपने हक

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

हिस्से की भूमि पर काबिज होकर कर रहे हैं। लेकिन गैरसायलान बदमाश प्रवृति के व्यक्ति होने से आये दिन सायलान के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप व दखलदांजी कर वाद विवाद कर रहे हैं। इस वर्ष भी फसल सायलान व गैरसायलान ने संयुक्त रुप से बोई थी। जीरा, लगभग 2,20000/- का हुआ तथा 150 मण गेहू भी हुये थें। जिसमें सायलान का हिस्सा भी गैरसायलान ने अपने पास ही रख लिया। गैरसायलान सायलान के पारिवारिक सदस्य होने की वजह से इस वर्ष तो सहन कर लिया, लेकिन अब और अधिकार गैरसायलान की नियत खराब हो रही हैं। वे अब इस सम्पूर्ण आराजी से ही सायलान को बेदखल करने की एलानिया धमकीयां दे रही हैं तथा सायलान को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने की कुचेष्ठा कर रहे हैं। अगर गैरसायलान विविध प्रावधानों से परे जाकर सायलान को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर देते हैं तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी का मूल्यांकन मुद्रा में नही आका जा सकता हैं। तथा सायलान गैरसायलान के ऐसे अवैधानिक कृत्य का विरोध करेगें। जिससे मौके पर विवाद बढेगा, व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिग्स होगी, तब ऐसी तमाम विषम परिस्थितियों में सायलान के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं। समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व दस्तावेजात के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टिया मामला सायलान के पक्ष में बखूबी प्रमणित हैं यदि गैरसायलान ने जबरदस्ती सायलान के हक हिस्से की भूमि से सायलान को बेदखल किया तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी एवं होने वाली क्षति का मूल्यांकन मुद्रा में नही आंका जा सकता है। इसलिये सुविधा का संतुलन भी बखूबी सायलान के पक्ष में प्रमाणित हैं। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायलान विरुद्ध गैरसायलान आशय की जारी की जावें कि - प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी में सायलान माफिक अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करे या करावें, एवं काश्त मुतालिक तमाम कार्य खडाई, बुवाई, निराई, गुडाई, सिंचाई, पिचाई कटाई आदि करे या करावे तो उसमें गैरसायलान स्वयं उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट, रिश्तेदार, परिवार के सदस्य, कारीगर, मजदूर आदि किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप, बाधा, अडचन, दखलदांजी, रोकटोक, पैदा नहीं करें न ही करावें। ऐसा करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के हमेशा के लिये रोका जावें। साथ ही प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी का जरियें रहन, बेचान, बक्शीश वसीयत के अन्य हस्तान्तरण नहीं करावें। न ही मौके पर किसी प्रकार से कोई खुर्द बुर्द आदि ही करें, ऐसा करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के हमेशा के लिये रोका जावें। ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायलान विरुद्ध गैरसायलान के सादिर फरमावें।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अट्ल सेवा केन्द्र-केकिन्दड़ा में पेश हुई। वकील गै0सा0 को जबाब पेश करने का समय दिया गया। बार-बार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। सायलान एवं गै0सा0 एक ही पिता की संतान हैं और राजस्व अभिलेख में खातेदार काश्तकार हैं। सायलान के कब्जे काश्त में गै0सा0 दखलन्दाजी करते हैं। प्रथम दृष्टिया मामला सायलान के पक्ष में प्रतीत होता हैं तथा सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में प्रतीत होता हैं। उभय पक्षकारान् को वाद निर्णय तक कब्जे काश्त

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

में दखलन्दाजी एवं उक्त भूमि की रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं।

## –:: आदेश ::–

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा–धनेरिया तहसील–जैतारण में सायलान व गै0सा0 संख्या एक व दो की शामलाती खातेदारी व कब्जाकाश्त की जमीन खसरा नंबर 11, 12, 13, 14, 459 कुल 5 कुल रकबा 52–07 बीघा किस्म चा0दो, गै.मु. व बा0दो0 के उभय पक्षकारान् को वाद निर्णय तक कब्जे काश्त में दखलन्दाजी एवं उक्त भूमि की रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 13/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–केकिन्दड़ा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner